प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6967/2009

याचिकाकर्ता **श्रीमती श्रद्धा आकाश श्रीवास्तव**

विरुद्ध

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7131/2009

याचिकाकर्ता **कु. द्वारिका तिड़के**

विरुद्ध

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7255/2009

याचिकाकर्ता **यशपाल सिंह टंडन**

विरुद्ध

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

आदेश की उद्घोषणा के लिए सूचीबद्ध करें। दिनाँक: 30 अगस्त, 2012

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6967/2009

याचिकाकर्ता	**श्रीमती श्रद्धा आकाश श्रीवास्तव**
	विरुद्ध
उत्तरवादीगण	**छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7131/2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता	**कु. द्वारिका तिड़के**
	विरुद्ध
उत्तरवादीगण	**छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7255/2009

याचिकाकर्ता	**यशपाल सिंह टंडन**
	विरुद्ध
उत्तरवादीगण	**छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

उपस्थित:-

संबंधित याचिकाकर्तागण की ओर से- श्री वी. जी. तामस्कर, अधिवक्ता एवं श्री अशोक स्वर्णकार, अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादी क्र.-1 की ओर से- श्री वाई. एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता।

उत्तरवादी क्र.-2 की ओर से- श्री संजय के. अग्रवाल, महाधिवक्ता।

(दिनाँक 30 अगस्त, 2012 को उद्घोषित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. याचिकाओं का यह समूह, अर्थात् वर्ष 2009 के रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6967, 7131 एवं 7255, समान तथ्यों एवं समान विधिक प्रश्नों पर आधारित होने के कारण, इन सभी याचिकाओं पर एक साथ विचार किया गया तथा इस समान आदेश द्वारा उनका निस्तारण किया जा रहा है। याचिकाओं के न्याय निर्णयन हेतु रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6967 वर्ष 2009 में संलग्न अभिलेखों का संदर्भ लिया गया है, क्योंकि सभी याचिकाओं के तथ्य एवं दस्तावेज़ समान हैं।

2. इन याचिकाओं के माध्यम से याचिकाकर्तागण दिनांक 06.11.2009 को पारित उस आदेश (अनुलग्नक- पी/5, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6967 वर्ष 2009) को अभिखंडित किए जाने की प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके द्वारा याचिकाकर्तागण को व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-II (सिविल जज वर्ग –II) के पद पर परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा से मुक्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009 के रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6967 एवं 7255 के

याचिकाकर्तागण दिनांक 09.11.2009 को पारित आदेश (अनुलग्नक- पी/6, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6967 वर्ष 2009) को भी अभिखंडित किए जाने की प्रार्थना (मांग) कर रहे हैं, जिसके द्वारा उत्तरवादी क्रमांक–2 द्वारा उत्तरवादी क्रमांक–1 के दिनांक 06.11.2009 के आदेश का समर्थन/अनुमोदन किया गया था।

3. याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्विवाद तथ्य, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं, कि याचिकाकर्तागण की नियुक्ति दिनांक 22.09.2006 के आदेश (अनुलग्नक- पी/2, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6967, वर्ष 2009) द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-II के पद पर वेतनमान रुपये 9000–250–10750–300–13150–350–14550 में की गई थी। तत्पश्चात् दिनांक 07.10.2006 के आदेश (अनुलग्नक- पी/3, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6967, वर्ष 2009) द्वारा याचिकाकर्तागण को दिनांक 26.10.2006 के पूर्व अथवा उस दिन तक अपने-अपने पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्तागण ने क्रमशः दिनांक 18.10.2006, 13.10.2006 एवं 11.10.2006 को कार्यभार ग्रहण किया। इसके पश्चात् याचिकाकर्तागण की परिवीक्षा की पुष्टि नहीं की गई तथा उन्हें आलोच्य आदेश दिनांक 06.11.2009 द्वारा सेवा से मुक्त कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्तागण के अनुसार, उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें कभी भी कारण बताओ सूचना-पत्र जारी नहीं किया गया और न ही उनकी परिवीक्षा अवधि को बढ़ाने संबंधी कोई आदेश पारित किया गया। तथापि, अचानक दिनांक 06.11.2009 के आदेश (अनुलग्नक-पी/5, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6967, वर्ष 2009) द्वारा, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2006 (संक्षेप में "नियम, 2006") के नियम 11 के उप-नियम (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उत्तरवादी क्रमांक–2 की

संस्तुति/अनुशंसा पर, याचिकाकर्तागण को सेवा में पुष्टि हेतु अनुपयुक्त पाए जाने के आधार पर सेवा से मुक्त कर दिया गया। इसके उपरांत, दिनांक 09.11.2009 के आदेश (अनुलग्नक- पी/6, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6967, वर्ष 2009) द्वारा उत्तरवादी क्रमांक–2 ने दिनांक 06.11.2009 के उक्त आदेश का अनुमोदन/समर्थन किया। अतः ये याचिकाएँ प्रस्तुत की गई हैं।

5. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित संबंधित विद्वान अधिवक्ता श्री तामस्कर एवं श्री स्वर्णकार ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण की सेवा के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपरांत उनको सेवा से मुक्त किया जाना इस आधार पर विधि विरुद्ध है, कि यह कार्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के तत्काल पश्चात किया जाना चाहिए था, इस प्रकार यह प्रकरण 'मानित पुष्टि' का था। साथ ही यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आलोच्य सेवा-समापन आदेश कारणरहित एवं अस्पष्ट आदेश है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्तागण द्वारा, न्यायिक अधिकारियों द्वारा निस्तारित वादों का तुलनात्मक विवरण दर्शाने वाली एक सारणी (लेखा) प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि याचिकाकर्तागण द्वारा वादों का निस्तारण उन अन्य न्यायिक अधिकारियों की तुलना में बेहतर रहा है, जिन्हें परिवीक्षा की पुष्टि प्रदान की गई है।

7. इसके विपरीत, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक–1 की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री ठाकुर ने आलोच्य आदेशों का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा समाप्त किए जाने से पूर्व कर्मचारी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

8. उत्तरवादी क्रमांक–2 की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री अग्रवाल ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण के सेवा में पुष्टि हेतु अनुपयुक्त पाए जाने के निर्णय पूर्व,

याचिकाकर्तागण के समग्र कार्य निष्पादन तथा संपूर्ण सेवा अभिलेखों पर पूर्ण पीठ न्यायालय द्वारा विचार किया गया, और तत्पश्चात उसी के अनुरूप उत्तरवादी क्रमांक–2 द्वारा उत्तरवादी क्रमांक–1 को संस्तुति/अनुशंसा की गई। परिणामस्वरूप, उत्तरवादी क्रमांक–1 द्वारा दिनांक 06.11.2009 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्तागण को सेवा से मुक्त कर दिया गया। अतः 'मानित पुष्टि ' का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। चूँकि याचिकाकर्तागण को सेवा में पुष्टि हेतु अनुपयुक्त पाए जाने के आधार पर सेवा से मुक्त किया गया है, इसलिए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किए जाने का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत तुलनात्मक सारणी (लेखा), जिसमें न्यायिक अधिकारियों द्वारा वादों के निस्तारण को दर्शाया गया है, के संबंध में श्री अग्रवाल ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि वादों का निस्तारण, मात्र निस्तारित मामलों की संख्या को दर्शाता है, न कि निर्णयों की गुणवत्ता अथवा अन्य आवश्यक गुणों, यथा–ईमानदारी, आचरण इत्यादि को। केवल वाद निस्तारण ही परिवीक्षा की पुष्टि का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता। तथापि, याचिकाकर्तागण को एक वर्ष में 'निम्नस्तरीय/औसत से कम' तथा अन्य (दूसरे) वर्ष में 'औसत' श्रेणी प्रदान की गई थी।

10. श्री अग्रवाल ने आगे यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण द्वारा मात्र दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर लेने से सेवा अथवा पद पर स्वतः पुष्टि नहीं हो जाती, क्योंकि याचिकाकर्ता व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-II के पद पर पुष्टि हेतु उपयुक्त नहीं पाए गए थे।

श्री अग्रवाल ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि नियम, 2006 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अंतर्गत उच्च न्यायालय को परिवीक्षा पर कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज) की सेवा समाप्त किए जाने की संस्तुति/अनुशंसा करने का अधिकार प्राप्त है।

आलोच्य आदेश से यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी क्रमांक–2 द्वारा याचिकाकर्तागण को अनुपयुक्त पाए जाने के आधार पर उनकी सेवा से मुक्त किए जाने की संस्तुति/अनुशंसा की गई थी।

11. श्री अग्रवाल ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि जब तक सेवा की पुष्टि का कोई आदेश पारित नहीं किया जाता, तब तक परिवीक्षा अवधि को दो वर्ष से तीन वर्ष तक बढ़ाने हेतु पृथक से कोई आदेश पारित किया जाना आवश्यक नहीं है। वस्तुतः, चूँकि न तो कोई पुष्टि आदेश पारित किया गया था और न ही परिवीक्षा की पुष्टि किए जाने संबंधी कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, अतः याचिकाकर्तागण की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ी मानी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके अभिकथनों एवं साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया।

13. उत्तरवादी क्रमांक–2 ने याचिकाकर्तागण की परिवीक्षा पर सेवाओं की पुष्टि न किए जाने का निर्णय लिया तथा आगे उन्हें सेवा से मुक्त किए जाने का भी निर्णय किया और तदनुसार, उत्तरवादी क्रमांक–2 की संस्तुति/अनुशंसा के आधार पर उत्तरवादी क्रमांक–1 ने प्रत्येक याचिकाकर्ता के संबंध में पृथक-पृथक आदेश एक ही दिनांक, अर्थात् 06.11.2009 को पारित किया।

14. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि नियुक्ति आदेश में नियम, 2006 का उल्लेख नहीं किया गया है, अतः वे नियम याचिकाकर्तागण के प्रकरण में लागू नहीं हो सकते। यह पाया गया कि यद्यपि नियुक्ति आदेश में किसी भी नियम का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तथापि नियम, 2006 दिनांक 07.04.2006 की अधिसूचना के माध्यम से प्रभावी थे। नियुक्ति आदेश प्रचलित नियम, 2006 के अंतर्गत ही पारित किया गया था। अतः याचिकाकर्तागण का उक्त तर्क अस्वीकार किया जाता है।

15. इस न्यायालय के निर्देशानुसार, याचिकाकर्तागण से संबंधित समस्त मूल दस्तावेज (अभिलेख) उत्तरवादी क्रमांक–2 द्वारा प्रस्तुत किए गए। श्रीमती श्रद्धा आकाश श्रीवास्तव के अभिलेखों के अवलोकन से यह पाया गया कि संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश को दिनांक 06.11.2007 के ज्ञापन (मेमो) द्वारा यह सूचित किया गया था कि संबंधित अधिकारियों को वादों के निस्तारण में सुधार करने हेतु अवगत कराया जाए। जिला न्यायाधीश को आगे भी दिनांक 11.02.2008, 16.05.2008 एवं 30.06.2009 को उपरोक्त आशय के संबंध में सूचित किया गया था। अतः यह अवधारित नहीं किया जा सकता कि श्रीमती श्रद्धा आकाश श्रीवास्तव को उनके न्यायिक कार्य एवं वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (संक्षेप में "ए.सी.आर.") में की गई टिप्पणियों के संबंध में कोई सूचना नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. कु. द्वारिका तिड़के एवं यशपाल सिंह टंडन के संबंध में भी संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश को दिनांक 22.08.2007 के ज्ञापन द्वारा उनके कार्य निष्पादन के संबंध में की गई टिप्पणियों को संप्रेषित करने हेतु सूचित किया गया था। पुनः दिनांक 06.11.2007 को जिला न्यायाधीश को वादों के निस्तारण में सुधार करने की सलाह

सहित टिप्पणियाँ संप्रेषित करने के लिए सूचित किये गए थे। इसके अतिरिक्त, दिनांक 16.05.2008, 10.11.2008, 30.06.2009 एवं 22.09.2009 को भी इसी प्रकार के ज्ञापन प्रेषित किए गए।

17. अतः याचिकाकर्तागण का यह तर्क कि उन्हें अपने आचरण अथवा कार्य निष्पादन में सुधार हेतु कभी भी सूचित नहीं किया गया, असत्य तथ्यों पर आधारित है, क्योंकि अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्तागण को समय-समय पर उनके कार्य निष्पादन के संबंध में अवगत कराया गया था, तथापि याचिकाकर्तागण द्वारा अपने कार्य निष्पादन में सुधार हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

18. मैंने पूर्ण पीठ न्यायालय की बैठक की कार्यवाही का भी अवलोकन किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि टिप्पणियों एवं अन्य प्रेक्षणों/अवलोकनों पर सम्यक् विचार किया गया था। श्रीमती श्रद्धा श्रीवास्तव को वर्ष 2007–08 में 'डी' श्रेणी तथा वर्ष 2008–09 में 'ई' श्रेणी प्रदान की गई थी। कु. तिड़के एवं श्री टंडन को वर्ष 2007–08 में 'ई' श्रेणी तथा वर्ष 2008–09 में 'डी' श्रेणी प्रदान की गई थी। जबकि अन्य न्यायिक अधिकारियों के प्रकरण में उन्हें 'डी' अर्थात् 'औसत' श्रेणी प्रदान की गई थी, वहीं याचिकाकर्तागण के संबंध में यह एक वर्ष 'औसत' तथा अन्य वर्ष 'औसत से कम', अर्थात् 'निम्नस्तरीय' थी। इस प्रकार, याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के विपरीत, तुलनात्मक रूप से उनका कार्य निष्पादन अच्छा नहीं था। दिनांक 27.10.2009 को आयोजित पूर्ण पीठ न्यायालय की बैठक की कार्यवाही के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि पुष्टि हेतु विचाराधीन 60 व्यवहार (सिविल)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायाधीशों के समग्र कार्य निष्पादन एवं संपूर्ण सेवा अभिलेखों का परीक्षण किया गया तथा यह पाया गया था कि उनमें से चार अधिकारियों, जिनमें याचिकाकर्ता भी सम्मिलित हैं, को पुष्टि हेतु अनुपयुक्त पाया गया।

19. प्रस्तुत समस्त सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, पूर्ण पीठ न्यायालय द्वारा किए गए मूल्यांकन एवं उनकी सर्वसम्मत राय को मनमाना, मनमर्जीपूर्ण एवं तर्कहीन/अतार्किक अवधारित नहीं किया जा सकता। ऐसे में, पूर्ण पीठ न्यायालय की सर्वसम्मत राय का न्यायिक पुनरावलोकन असंभव है उस असाधारण परिस्थिति को छोड़कर, जब न्यायालय आश्वस्त हो कि वास्तव में कोई अन्याय किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. राजेश कोहली विरुद्ध जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय एवं अन्य[1] मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

> "18. परिवीक्षा अवधि के दौरान एक कर्मचारी निगरानी में रहता है और उसकी सेवा तथा आचरण परीक्षण के अधीन होते है । परिवीक्षा अवधि के समाप्ति के समय, उसके परिवीक्षा अवधि के दौरान किये गए कार्य एवं आचरण का मूल्यांकन किया जाता है और इसी मूल्यांकन के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि उसकी सेवा संतोषजनक है या नहीं और यह भी निर्णय लिया जाता है कि उसकी सेवा की पुष्टि की जाए या यदि ऐसा विस्तार अनुमेय हो तो उसकी सेवा का और परीक्षण किया जाए, अथवा उसे उसकी सेवा से विमुक्त कर दिया जाए और उसकी सेवा समाप्त कर दी जाए। परिवीक्षा अवधि के दौरान एक न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त

[1] (2010) 12 एससीसी 783

सेवाओं का मूल्यांकन केवल न्यायिक प्रदर्शन के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि यह भी देखा जाता है कि उसने अपने आचरण में कितनी ईमानदारी या सत्यनिष्ठा का पालन किया।"

21. राजेंद्र सिंह वर्मा (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधियों एवं अन्य विरुद्ध उपराज्यपाल (एन.सी.टी. दिल्ली) एवं अन्य[2] मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

"218. समस्त सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने के उपरांत यह अवधारित किया जाना चाहिए कि समिति/पूर्ण पीठ न्यायालय द्वारा किया गया मूल्यांकन और उनकी सर्वसम्मत राय न तो मनमाना है, न ही यह मनमर्जीपूर्ण है और न ही इसे तर्कहीन/अतार्किक कहा जा सकता है, कि इस न्यायालय की संवेदना को झकझोरने वाला है जिससे हस्तक्षेप की आवश्यकता या औचित्य सिद्ध करने का अधिकार प्रदान सके। ऐसे मूल्यांकन, आकलन और राय निर्माण के मामलों में अनेक प्रकार के कारक अत्यावश्यक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी एक कारक को अतिशयोक्ति के साथ बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए ताकि किसी प्रश्न को जिसे हल किया जाना है अथवा जिन दावों पर विचार या उन्हें दृढ़ता से प्रस्तुत किया जाना है, को अवमूल्यित या अतिशयोक्तिपूर्ण महत्व दिया जाए। वस्तुतः, पूर्ण पीठ न्यायालय द्वारा किए गए इस प्रकार के आकलन को न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन लाना कठिन ही नहीं, लगभग असंभव है, सिवाय इस असाधारण परिस्थिति के जब न्यायालय को यह सुनिश्चित हो जाए कि वास्तव में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[2] (2011) 10 एससीसी 1

कोई गंभीर अन्याय हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था, और न केवल इसलिए कि कोई अन्य दृष्टिकोण संभव है या किसी को समिति/पूर्ण पीठ न्यायालय द्वारा किए गए आकलन पर कोई असंतोष/परिवेदना है।"

22. याचिकाकर्तागण का यह तर्क नहीं है, न ही इसे याचिका में प्रस्तुत किया गया या बहस में उठाया गया कि दिनांक 06.11.2009 के आलोच्य आदेश याचिकाकर्तागण को कलंकित करने का आदेश है और इसलिए कारण बताओ नोटिस जारी करना आवश्यक था।

23. काजिया मोहम्मद मुज़म्मिल विरुद्ध कर्नाटक राज्य एवं अन्य[3] मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"9. उपर्युक्त आलोच्य अधिसूचना का केवल पठनीय अवलोकन ही यह दर्शाता है कि यह स्वभाव से कलंकित करने वाला नहीं है; यह केवल अपीलकर्ता को सेवा से मुक्त कर देता है, क्योंकि उसे जिला न्यायाधीश के पद के लिए अनुपयुक्त पाया गया। जब तक अपीलकर्ता अभिलेख पर उपलब्ध ठोस सामग्रियों से समर्थित ऐसे परिस्थितियों को प्रदर्शित करने में असमर्थ है कि यह आदेश कलंकित करने वाला है और नियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए विधिक प्रक्रिया को दरकिनार/अतिसन्धान करने का प्रयास है, तब तक इस न्यायालय को तथ्यों के आधार पर हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं है। जहाँ तक विधि का प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण में 'मानित पुष्टि' की

[3] (2010) 8 एससीसी 155

अवधारणा की प्रयोज्यता के सम्बन्ध में उठाया गया प्रश्न सेवा विधिशास्त्र के अधीन है।"

24. नियम, 2006 के नियम 11 का प्रावधान इस प्रकार है:

परिवीक्षा:-

(1). नियम 3 के उप-नियम (1) की श्रेणी (क) में नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2). नियम 3 के उप-नियम (1) की श्रेणी (क) में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार एक वर्ष की न्यायिक प्रशिक्षण अवधि से गुजरना होगा, जिसमें राज्य न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण भी शामिल होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3). उच्च न्यायालय किसी भी समय, परिवीक्षा अवधि समाप्त होने से पहले, परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, परंतु परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4). उच्च न्यायालय किसी भी समय, परिवीक्षा अवधि समाप्त होने से पूर्व, नियम 3 के उप-नियम (1) की श्रेणी (क) में नियुक्त व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज) की सेवा समाप्त करने की संस्तुति/अनुशंसा कर सकता है।

(5). परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर, परिवीक्षार्थी को उस सेवा या पद में स्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा, जिसमें उसे नियुक्त किया गया था और यदि कोई स्थायी पद उपलब्ध नहीं है, तो उच्च न्यायालय उसके पक्ष में प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि परिवीक्षार्थी की पुष्टि की जाती, परंतु स्थायी पद की अनुपलब्धता के

कारण नहीं की जा सकी, और जैसे ही कोई स्थायी पद उपलब्ध होगा, उसे पुष्टि कर दी जाएगी।

(6). परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति को तब तक परिवीक्षार्थी के रूप में ही रखा जाएगा जब तक कि उसे उप-नियम (4) या उप-नियम (5) के अंतर्गत उसकी सेवा की समाप्ति या पुष्टि नहीं किया जाता।

(7). जब किसी परिवीक्षार्थी की पुष्टि हो जाता है, उसे परिवीक्षा अवधि के संपूर्ण समय के लिए वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।

25. नियम, 2006 के नियम 11, जो परिवीक्षा से संबंधित है, के संपूर्ण प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उप-नियम (6) के अंतर्गत परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति तब तक परिवीक्षार्थी बना रहता है जब तक कि उसे उप-नियम (4) या उप-नियम (5) के अनुसार उसकी सेवा की समाप्ति या पुष्टि नहीं किया जाता। उप-नियम (1) एवं (3) भी प्रावधान करता है कि अधिकारी को प्रारंभ में दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाएगा तथा उसके पश्चात्, परिवीक्षा अवधि समाप्त होने से पहले, परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है, परंतु परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1955 के प्रावधानों से उत्पन्न समान प्रश्न/मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा पंजीयक एवं अन्य विरुद्ध सत्य नारायण झावर[4] मामले में विचाराधीन हुआ जंहा इस प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि नियमों के अंतर्गत 'मानित पुष्टि' की कोई अवधारणा नहीं है। सेवा की

[4] (2001) 7 एससीसी 161

पुष्टि हेतु उचित आदेश आवश्यक हैं, भले ही कर्मचारी बिना पुष्टि के कार्य करता रहा हो।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे निम्नानुसार अवधारित किया:

> "38. नियम 24 के उप-नियम (1) के अतिरिक्त, उप-नियम (3) के प्रभाव पर भी विचार किया जा सकता है। उप-नियम (3) के अंतर्गत, यदि किसी परिवीक्षार्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया या वह निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने में असफल हुआ है, तो राज्यपाल, उसके बाद किसी भी समय उसे उसकी सेवाओं से मुक्त कर सकते है। सेवाओं से मुक्त करने की यह शक्ति राज्यपाल को प्रदान किया गया है, जिसे वह परिवीक्षा अवधि के पश्चात् किसी भी समय प्रयोग कर सकते है यदि परिवीक्षार्थी अनुपयुक्त पाया गया या वह निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने में असफल हुआ है। यदि इस न्यायालय द्वारा दयाराम दयाल प्रकरण में उप-नियम (1) के संबंध में दी गई व्याख्या को सही माना जाए, तो उप-नियम (3) के अंतर्गत राज्यपाल की यह शक्ति व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि परिवीक्षार्थी उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकतम परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर मानित पुष्टि प्राप्त कर लेगा। अतः नियम 24 का उप-नियम (3) नियमों में निहित एक अन्य अंतर्निर्मित प्रावधान है, जिसे एक विशेष प्रावधान माना जा सकता है, जो उप-नियम (1) में इंगित (बताये गए) अधिकतम परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर मानित पुष्टि की अवधारणा को नकारता/अस्वीकार करता है, जैसा कि दयाराम दयाल प्रकरण में भी इस न्यायालय ने अवधारित किया है, और यह इस न्यायालय के समशेर सिंह, सुखबंस सिंह, जी.एस. रामास्वामी एवं अकबर अली

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खान प्रकरणों के निर्णयों के अनुरूप है। नियम 24, प्रयुक्त शब्दों का स्पष्ट भाषाई अर्थ यह नहीं देता कि अधिकतम परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर मानित पुष्टि हो जाएगी एवं दूसरी ओर, यह पुष्टि हेतु उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सकारात्मक आदेश पारित करने की परिकल्पना करता है, यदि संबंधित प्राधिकारी परिवीक्षार्थी की पुष्टि के लिए योग्य होने का संतोषजनक आकलन करता है और यदि परिवीक्षार्थी ने निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षार्थी की पुष्टि के लिए उसके प्रकरण पर विचार किये जाने के बाद, परिवीक्षार्थी की केवल निरंतरता और पूर्ण पीठ न्यायालय द्वारा उसे अनुपयुक्त मानना, किसी भी कल्पना से पुष्टि के रूप में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता, जैसा कि इस न्यायालय ने धरम सिंह प्रकरण में भी अवधारित किया था और नियम बनाने वाले प्राधिकारी का ऐसा कोई आशय कभी नहीं हो सकता। यदि पूर्ण पीठ न्यायालय ने परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षार्थी की पुष्टि हेतु योग्यता पर विचार नहीं किया होता, तो मामला किसी भिन्न आधार पर खड़ा होता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. वर्तमान हस्तगत प्रकरण में, याचिकाकर्तागण को सेवा में जारी रखा गया था, परंतु कोई पुष्टि आदेश पारित नहीं किया गया, और इस प्रकार याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क कि चूंकि याचिकाकर्तागण ने बिना परिवीक्षा विस्तार के आदेश के दो वर्ष से अधिक सेवा की, इसलिए इसे 'मानित पुष्टि ' माना जा सकता है, विधि के दृष्टिकोण से अस्वीकार्य है और तदनुसार याचिकाकर्तागण का उपरोक्त तर्क अस्वीकार किया जाता है।

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, गुजरात विरुद्ध सी.जी. शर्मा[5] मामले में निम्नानुसार अवधारित किया:

"26. दोनों पक्षकारों द्वारा हमें अनेक प्रकरण के निर्णय उद्धृत किए गए। तथापि, इन सभी प्रकरणों का विवरण में विश्लेषण आवश्यक नहीं है, क्योंकि नियम 5 के उप-नियम (4) को समान विषय-वस्तु वाले नियम (परी मटेरिया) के रूप में देखा गया है, जैसा महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध वीरप्पा आर. साबोजी मामले में विचाराधीन था और हम पाते है कि यदि दो वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है और परिवीक्षार्थी को दो वर्ष की अवधि के पश्चात् सेवा में जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तब भी स्वचालित पुष्टि का दावा, अधिकार रूप में नहीं किया जा सकता है क्योंकि नियमों के शर्तों के अनुसार, कार्य का संतोषजनक होना पुष्टि हेतु पूर्वापेक्षित शर्त या पूर्व निबंधन है, और इसलिए, भले ही परिवीक्षार्थी को नियम में उल्लिखित दो वर्ष की अवधि से परे जारी रखा जाए, मानित पुष्टि का कोई प्रश्न नहीं उठता। नियम की भाषा स्वयं किसी मानित या स्वचालित पुष्टि की संभावना को अस्वीकार करती है, क्योंकि पुष्टि केवल तभी आदेशित किया जाना है जब कोई पद रिक्त हो और कार्य संतोषजनक पाया जाए। अतः, इस नियम की भाषा के आलोक में, पुष्टि और परिणामस्वरूप मानित पुष्टि का कोई प्रश्न नहीं उठता और इसे खारिज किया जाता है। इसलिए, हमारा मत है कि इस पहलू पर उत्तरवादी की

[5] (2005) 1 एससीसी 132

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ओर से विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क में कोई सार नहीं है और उसका कोई आधार नहीं है। एकल पीठ के माननीय विद्वान् न्यायाधीश तथा खंड (युगल) पीठ के माननीय विद्वान् न्यायधीशगण पूर्णतः सही निष्कर्ष पर पहुंचे है कि दो वर्षों की अवधि की समाप्ति पर कोई स्वतः (स्वचालित) पुष्टि नहीं होती, और उक्त दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात पुष्टि का आदेश तभी पारित किया जा सकता है जब रिक्ति उपलब्ध हो और कार्य संतोषजनक पाया जाए। नियम यह भी नहीं कहता कि नियम में उल्लिखित दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि अधिकतम अवधि है और परिवीक्षा को दो वर्ष के अवधि से परे आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः, हमारा मत है कि स्वचालित अथवा मानित पुष्टि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता जैसा कि उत्तरवादी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया। इसलिए, हम इस प्रश्न/मामले का उत्तर नकारात्मक रूप में तथा उत्तरवादी के विरुद्ध देते हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. यह सुस्थापित है कि यदि कोई परिवीक्षार्थी परिवीक्षा अवधि के दौरान पदच्युत/बर्खास्त किया जाता है, तो उसे सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं होती।

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओम प्रकाश मान विरुद्ध निदेशक शिक्षा (बुनियादी/मूलभूत) एवं अन्य[6] मामले में निम्नानुसार अवधारित किया:

"10. ... यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि परिवीक्षार्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान पदच्युत/बर्खास्त किया जाता है, तो उसे सुनवाई का अवसर देने की

[6] (2006) 7 एससीसी 558

आवश्यकता नहीं होती। अतः, इस मामले के प्रस्तुत तथ्यों में प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।"

31. याचिकाकर्तागण द्वारा उद्धृत अमर पाल सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य[7] का निर्णय इस मामले के तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य में सुसंगत नहीं है, क्योंकि उक्त निर्णय में उच्च न्यायालय के निर्णयों में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अनुचित टिप्पणियाँ, अतिशयोक्तिपूर्ण आलोचना और अनुचित भाषा के प्रयोग पर विचार किया गया था।

32. याचिकाकर्तागण द्वारा, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, पटना विरुद्ध पांडेय गजेन्द्र प्रसाद एवं अन्य[8] के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अवलंब लेना भी वर्तमान याचिकाओं के तथ्यात्मक आधार पर सहायक नहीं है, क्योंकि उस निर्णय में न्यायिक अधिकारियों के सेवा अभिलेख में वार्षिक गोपनीय अभिलेख दर्ज करने पर विचार किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश विरुद्ध महेश प्रकाश एवं अन्य[9] मामले में, पूर्ण पीठ न्यायालय, जिस पर आसानी से अविश्वास नहीं किया जा सकता, की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, यह अवधारित किया कि एक पूर्ण पीठ न्यायालय द्वारा पूर्व में पूर्ण पीठ न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा करना अवांछनीय और असुरक्षित है, विशेषकर पदोन्नति, पुष्टि, अप्रत्याशित निष्कासन और

[7] (2012) 6 एससीसी 491
[8] (2012) 6 एससीसी 357
[9] (1995) 1 एससीसी 203

इसी प्रकार के सामान मामलों में। यह स्थिति पूरे न्यायिक क्षेत्र में मान्य है। तथापि, एक असाधारण परिस्थिति में, जब न्यायालय को यह सुनिश्चित हो कि कोई वास्तविक अन्याय हुआ है, जो होना नहीं चाहिए था, और यह केवल इस कारण से नहीं कि कोई अन्य दृष्टिकोण संभव था या किसी को पूर्ण पीठ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय पर कोई शिकायत/परिवेदना है, तभी समीक्षा की संभावना बनती है।

34. उपरोक्त कारणों के आलोक में और वर्तमान याचिकाओं के तथ्यों पर स्थापित विधिक सिद्धांतों को लागू करते हुए, मैंने किसी भी प्रकार के अन्याय या किसी सांविधिक नियम के उल्लंघन का कोई संकेत नहीं पाया।

35. अतः परिणामस्वरूप, याचिकाएँ, गुणरहित होने से खारिज किये जाने योग्य है और तदनुसार खारिज किया जाता है। पक्षकार अपने-अपने खर्च स्वयं वहां करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Prashant Kumar